

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 47/18

देवाराम सिंह पुत्र शंकरलाल कुशवाह आयु 37 वर्ष  
निवासी ग्राम गंगादास का पुरा थाना व परगना  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

12-02-2018

आवेदक/अभियुक्त देवाराम की ओर से श्री आर०के० भट्टेले अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 20/18 अंतर्गत धारा 354 तथा 323 भा०दं०सं० की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त देवाराम की ओर से अधिवक्ता श्री आर०के० भट्टेले द्वारा जे०एम०एफ०सी० न्यायालय से जमानत आवेदन धारा 437 दं०प्र०सं० का निरस्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री आर०के० भट्टेले द्वारा प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि फरियादी ने पुरानी बुराई एवं दीवाल विवाद पर से पुलिस गोहद से मिलकर झूठा मुकदमा कायम कराया है। आवेदक ने न उसका हाथ पकड़ा और न ही छीना झपटी की है। आवेदक का कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक दिनांक 06.02.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति है। वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक के कहीं भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस

डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे पाया जाता है कि अभियोजन अनुसार फरियादी श्रीमती सरिता कुशवाह द्वारा अभियुक्त देवाराम को दीवाल बनाने से मना करने पर अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लेने और धक्का मुक्की करते हुये पीठ में काट लेने के संबंध में फरियादी/पीड़ित श्रीमती सरिता कुशवाह द्वारा रिपोर्ट करने पर पुलिस थाना गोहद द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 20/18 अंतर्गत धारा 354 व 323 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया है, जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर 5 वर्ष तक कारावास की सजा से दण्डनीय है और जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.02.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक गोहद जिला भिण्ड का स्थाई निवासी होकर मजदूर के रूप में अपने परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है एवं अभियुक्त की पत्नी द्वारा फरियादी के पति के विरुद्ध पूर्व में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांकित 22.09.17 सहित केस डायरी के अवलोकन से उभयपक्ष के मध्य पूर्व से बुराई एवं दीवाल विवाद होना दर्शित है और आवेदक का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी केस डायरी के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से निम्न शर्तों सहित 20,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1.प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2.अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेगा।

3.अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड